<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>13.08.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई जोनल कार्यालय ने हाई-प्रोफाइल ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की है। मोहम्मद सलीम को जाफर सादिक मामले से जुड़ी धन शोधन की आय में शामिल होने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।

यह कार्रवाई एनसीबी द्वारा की गई जांच के बाद की गई है, जिसमें डीएमके के पूर्व पदाधिकारी जाफर सादिक अब्दुल रहमान को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया में स्यूडोएफ़ेड्रिन की तस्करी करने की एक परिष्कृत योजना के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में उजागर किया गया था, जिसे स्वास्थ्य-मिश्रण पाउडर और सूखे नारियल के रूप में छिपाया गया था। यह मामला सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पिछली जब्ती पर भी आधारित है, जिसमें 2015 में चेन्नई सीमा शुल्क द्वारा स्यूडोएफ़ेड्रिन और 2018 में मुंबई सीमा शुल्क द्वारा केटामाइन शामिल है। इसके बाद एक ईसीआईआर दायर किया गया, जिसके कारण तमिलनाडु भर में 15 स्थानों पर पीएमएलए की धारा 17 के तहत व्यापक तलाशी ली गई।

ईडी की जांच से पता चला है कि मोहम्मद सलीम ने जाफर सादिक के साथ मिलकर स्यूडोएफ़ेड्रिन और अन्य नशीले पदार्थों के निर्यात और छिपाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सलीम, जो कई फर्मों और संस्थाओं में निदेशक/साझेदार है, ने इन चैनलों का इस्तेमाल अपराध की आय को लूटने और परत दर परत करने के लिए किया।

जांच से पता चलता है कि सलीम ने अपने नियंत्रण में कई खातों में 8 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध नकदी जमा की है। आगे के विश्लेषण से पता चला कि वह इस नकदी के स्रोतों को अस्पष्ट करने के लिए वित्तीय मध्यस्थों और फर्जी असुरक्षित ऋणों का उपयोग करने सहित मनी लॉन्ड्रिंग रणनीति में लिप्त है। सलीम ने न केवल मादक पदार्थों की तस्करी की आय को मूल्यवान अचल संपत्ति में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान की, बल्कि जगुआर और अन्य लक्जरी वाहनों जैसी उच्च अंत संपत्तियों में भी निवेश किया।

आगे की जांच जारी है।